

13³km

5/5/22 (

4-5-22 पन्नावली पेडा हुई। वकुलाप उपस्थित। बहल आर्चीना पत्र हल लवण की गई। पन्नावली वास्ते प्रोफेस आर्चीना पत्र दिनांक 5-5-22 को पेडा हो। $\alpha\mu$ ✓

5-5-22 पन्नावली पेडा हुई। वकुलाप उपस्थित। बहल के दौरान आर्ची वकील ने आर्चीना पत्र में अंकित तथ्यों के दोहराया तथा क्वॉर किया कि आर्चीना पत्र में बर्णित धर्म की पुरानी नक्शा ट्रेस में कोई रास्ता अंकित नहीं है। को भी नहीं पड़े पर हे लेकिन वर्तमान बन्दोबस्त कार्यवाही में बन्दोबस्त विभाग ने बिना आर्चीना के पुनः उक्त भूमि की पूर्वी सीमा पर नक्शा ट्रेस में रास्ता राजस्व रिकार्ड में कापम का प्लान मिलने कावा पर कोई अस्वाभाविक अप्रतीति का आल नहीं होता है। अनोबेदकगण वकील ने अपन दावा में अंकित तथ्यों के दोहराया तथा आर्चीना का आर्चीना पत्र अप हल जर्नी जारीज कोने का निवेदन किया। पन्नावली का दृष्टानपूर्वक हलसोकन किया गया एवं बहल पर मतन किया गया। उक्त आर्चीना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचारायीन है। अंतिम एक एक के लंबे में निर्णय से दावे के विधिवत पुनर्बाई के पश्चात ही तप होना है। विवादित भूमि को लेकर अनोबेदक हुकदमावाजी व विवाद नहीं बडे इसके लिए अनोबेदकगण को जरिये अस्वाधी निषेधाता के दावा का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता उचित व न्यायोचित उपाय होता है।

आदेश

आर्ची द्वारा उक्त आर्चीना पत्र अस्वाधी निषेधाता का स्वीकार किया जाता है तथा अनोबेदकगण को जरिये अस्वाधी निषेधाता के दावे का निर्णय होने तक पाबन्द



$\alpha\mu$ ✓

कार्यवाही विवरण

आदेश

किया जाता है कि वे ग्राम टोलनाड टोलनाड के
वर्तमान भूमि जलरा नम्बर 575/2, 1358/580,
1359/580, 1360/580, 1361/580, 1362/580,
1358/580/1 व 1358/580/2 के रिकार्ड व मौके की
प्रमाणावधि बनाये रखे। पत्तावली कैलकुलेशन के
नम्बर के कम दो अक्षा दालिल प्रस्तुत हो।

24/3